कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज.)

क्रमांक : 164 दिनांक : 22.07.2020

–:: आ दे श ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक : Gen./XV/42/2020/4006, दिनांक 14.07.2020 की अनुपालना में बून्दी मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को कोविड–19 की जाँच करवाई गई थी, जिनमें से कुछ जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के मुताबिक बून्दी मुख्यालय पर न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा.–अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, बून्दी में कार्यरत एक कार्मिक की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक : कोविड /2020, दिनांक 22.07.2020 द्वारा कोविड–19 पॉजिटिव कार्मिक से सम्पर्क में आये अधिकारी एवं कार्मिकों को दिनांक 22.07.2020 से 26.07.2020 तक होम आईसोलेशन किये जाने की अनुशंषा की गई है। इस सम्बन्ध में श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से वार्ता की गई है।

अतः विसंक्रमण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा.–अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, बून्दी के पीठासीन अधिकारी, कर्मचारीगण व पॉजिटिव कर्मचारी के सम्पर्क में आये अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, बून्दी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या–01, बून्दी में कार्यरत आशुलिपिक व रीडर को यह निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र दिनांक 22.07.2020(प्रति संलग्न है) में की गई अनुशंषा के अनुसार दिनांक 26 जुलाई, 2020 तक होम आईसोलेशन में रहेंगे। इस दौरान न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा.–अ.ज.जा.(अ.नि) प्रकरण, बून्दी को विसंक्रमित करवाया जायेगा।

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा.–अ.ज.जा.(अ.नि) प्रकरण, बून्दी का दिनांक 22 से 24 जुलाई, 2020 तक, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, बून्दी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी का दिनांक 23 व 24 जुलाई, 2020 को आवश्यक न्यायिक कार्य लिंक अधिकारी द्वारा किया जायेगा। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा.–अ.ज.जा.(अ.नि) प्रकरण, बून्दी में दिनांक 23 व 24 जुलाई, 2020 को सुनवाई होने वाले प्रकरण क्रमशः दिनांक 30 व 31 जुलाई, 2020 को सुनवाई में रखे जाये। इस आशय का नोटिस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये तथा सी.आई.एस. सिस्टम में भी अद्यतन किया जाये।

22.7.2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0/2020/4180-4198 दिनांक : 22.7.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश, संख्या–01/02, बून्दी(के0पाटन/नैनवाँ)
2. विशिष्ट न्यायाधीश, अ0जा0–अ0ज0जा0(अ0नि0) प्रकरण, बून्दी
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी
4. श्रीमती गिरिजा भारद्वाज, अध्यक्ष, नोवल कोरोना वायरस(कोविड 19) संक्रमण रोकथाम समिति, बून्दी(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी)
5. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी
7. जिला कलक्टर, बून्दी.
8. जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी.
9. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, बून्दी/लोक अभियोजक, बून्दी.
10. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
11. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बून्दी

12. कोर्ट मैनेजर/नाजिर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी.
13 सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी को जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
14. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी।

22.7.2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)